नए फौजदारी कानूनों को लागू करने में कई चुनौतियां

SPRF.IN

०१
२४

| विवेक वार्ष्णेय

इशू ब्रीफ

Cover Image credits: *rawpixel-5926708*

If you have any suggestions, or would like to contribute, please write to us at contact@sprf.in

© Social Policy Research Foundation™

जनवरी २०२४

इशू ब्रीफ

नए फौजदारी कानूनों को लागू करने में कई चुनौतियां

। विवेक वार्ष्णेय

नए फौजदारी कानूनों को लागू करने में कई चुनौतियां

विवेक वार्ष्णेय

केन्द्र सरकार ने फौजदारी कानूनों में बदलाव करने का साहसिक कदम उठाया है। भारतीय न्याय(द्वितीय)संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा(द्वितीय)संहिता 2023 तथा भारतीय साक्ष्य(द्वितीय)अधिनियम 2023 संसद से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी हासिल कर चुके हैं। यह तीनों कानून भारतीय दंड संहिता(आईपीसी)1860, अपराध प्रक्रिया संहिता(सीआरपीसी) 1973 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लेंगे। इन नए कानूनों में कई अहम बदलाव किए गए हैं। आईपीसी, सीआरपीसी तथा साक्ष्य अधिनियम की अधिसंख्य धाराओं की परिभाषाओं में परिवर्तन नहीं किया गया है। केवल धाराओं का क्रम बदल गया है। लेकिन साथ ही कुछ अपराधों की शब्दावली और परिभाषा में आमूल-चूल बदलाव किया गया है।

नए अपराध

शादी का वादा-भारतीय न्याय संहिता(बीएनएस)2023 में की शादी का वादा करके शारीरिक संबंध बनाना और उसके बाद विवाह न करना धारा 69 के तहत अपराध होगा और इसमें अधिकतम दस साल की सजा का प्रावधान है। आईपीसी की तहत इस तरह का अपराध बलात्कार की श्रेणी में आता है। नए कानून में इसे रेप से बाहर कर दिया गया है लेकिन फिर भी इसे अपराध माना गया है। प्रेम संबंधों में दरार आने पर यदि युवक-युवतियों का ब्रेक अप हो जाता है तो उसे अपराध के दायरे में लाया गया है। आईपीसी की धारा 375 में रेप को परिभाषित किया गया है। महिला की बिना सहमति से उससे शारीरिक संबंध बनाना रेप है। यदि महिला की आयु 18 साल से कम है तो उसकी सहमति के भी कोई मायने नहीं है। नए कानून के अनुसार नौकरी या पदोन्नति का प्रलोभन देकर महिला का शारीरिक शोषण भी अपराध की श्रेणी में आएगा।

भीड़ की हिंसा(मॉब लिंचिंग)- बीएनएस में भीड़ द्वारा किसी व्यक्ति की पीटकर हत्या करने के अपराध को अलग से वर्गीकृत किया गया है। नफरत पैदा करके उत्पाती समूह द्वारा हत्या को भी इसी दायरे में लाया गया है। अपराध साबित होने पर इसमें आजीवन कारावास या मृत्युदंड दिया जा सकता है। अगस्त 2023 में भारतीय न्याय संहिता का प्रथम प्रारूप संसद में पेश किया गया था जिसमें इस तरह के अपराध में अधिकतम सजा सिर्फ सात वर्ष थी। संसद की स्थाई समिति ने अधिकतम सजा में बदलाव किया और इसमें उतनी ही सजा रखी जितनी हत्या के अपराध में है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक फैसले में मॉब लिंचिंग के लिए एक अलग प्रावधान की वकालत की थी।

संगठित अपराध-संगठित अपराध को पहली मर्तबा सामान्य फौजदारी कानून के तहत लाया गया है। संगठित अपराध के लिए कई राज्यों ने अपने अलग कानून बनाए हैं। इनमें सर्वाधिक लोकप्रिय महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999 है। नए कानून में संगठित अपराध का प्रयास करना तथा अपराध को अंजाम देना-दोनों गुनाह हैं। यदि संगठित अपराध के तहत हत्या की जाती है तो अधिकतम सजा उम्र कैद या फांसी है। हत्या नहीं होने पर न्यूनतम सजा पांच साल है जो अधिकतम आजीवन कारावास तक जा सकती है।

छोटे संगठित अपराध की एक अलग श्रेणी बनाई गई है। इसमें चोरी, झपटमारी, जालसाजी, जुआ, परीक्षा-पेपर बेचना तथा अनधिकृत रूप से टिकट बेचना शामिल है।

आतंकवाद-आतंकवाद के लिए अलग से कानून है लेकिन इसे बीएनएस में भी लाया गया है। हालांकि आतंकवाद की परिभाषा लगभग वही है जो गैर-कानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम(यूएपीए) में है। यह अभी स्पष्ट नहीं है यूएपीए और बीएनएस-दोनों में आतंकवाद के तहत केस चल सकता है या नहीं। यूएपीए के तहत दर्ज मुकदमों का निपटारा विशेष अदालत करती है।

आत्महत्या का प्रयास-आईपीसी की धारा 309 के तहत आत्महत्या में सफल न होने वाले शख्स को सजा का प्रावधान है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा को एक मर्तबा गैर-कानूनी करार दिया था। नए कानून में यह नई परिभाषा के साथ शामिल किया गया है। यदि कोई व्यक्ति किसी सरकारी कर्मचारी को उसके कामकाज में बाधा डालने के मकसद से खुदकुशी का प्रयास करता है तो उसे एक वर्ष की सजा सामुदायिक सेवा के रूप में काटनी होगी। सामुदायिक सेवा के लिए कई देशों में ओपन जेल की व्यवस्था है। भारत में अभी खुली जेल का बंदोबस्त नहीं है। यह सजा कैसे काटी जाएगी, स्पष्ट नहीं है। वैसे, अदालतें छोटे-मोटे अपराध में सामुदायिक सेवा के आदेश पारित करती रही हैं।

हिट एंड रन-हिट एंड रन के मामलों में अधिकतम सजा दस साल कर दी गई है। सडक़ दुर्घटना का दोषी ड्राइवर यदि पीड़ित की मदद किए बिना भाग जाता है तो उसे दस साल तक की कैद हो सकती है। यदि ड्राइवर पीड़ित को मदद करता है या चिकित्सा सुविधा मुहैया कराता है तो सजा घटकर पांच साल तक हो सकती है। सजा के अलावा अधिकतम सात लाख रुपए तक का जुर्माना भी दोषी ड्राइवर को भरने का प्रावधान लाया गया है। इस कानून का देशभर के ट्रक, बस और टैक्सी ड्राइवरों ने विरोध किया है। आईपीसी की धारा 304ए के तहत लापरवाही से वाहन चलाने के कारण हुई मौत पर अधिकतम दो वर्ष के कारावास का प्रावधान है। नए कानूनों में सडक़ दुर्घटना को गंभीर अपराध की श्रेणी में लाया गया है।

विलोपित कानून(डिलीशन्स)

अप्राकृतिक यौनाचार- सहमति के आधार दो समलैंगिकों के बीच एकांत में बने शारीरिक संबंधों को सुप्रीम कोर्ट ने अपराध की परिधि से हटा दिया था। आईपीसी की धारा 377 के तहत यह अपराध हुआ करता था। लेकिन नाबालिग बच्चों का शारीरिक शोषण और असहमति से समलैंगिक संबंध स्थापित करने की छूट सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी थी। संसद की स्थाई समिति ने भी इन्हीं दो बिंदुओं के आधार पर धारा 377 को बहाल रखने की सिफारिश की थी। लेकिन भारतीय न्याय संहिता में आश्चर्यजनक रूप से इसे शामिल नहीं किया गया है। पशु-पक्षियों का यौन शोषण भी इसी दायरे में आता था।

व्यभिचार(एडल्टरी)-आईपीसी की धारा 497 के तहत एडल्टरी को सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में गैर-कानूनी करार दिया था। धारा 497 के तहत केवल महिला के विवाहेत्तर संबंध होने पर ही मुकदमा चलाने का प्रावधान था। इसमें महिला पर नहीं बल्कि उससे संबंध बनाने वाले पुरुष पर मुकदमा दर्ज करने का प्रावधान था। नए कानूनों के परीक्षण के लिए गठित संसद की स्थाई समिति ने इसे जेंडर न्यूट्रल करने की सिफारिश की थी। यानी महिला या पुरुष जो भी विवाहेत्तर संबंध बनाए, वह मुकदमे का सामना करे। लेकिन बीएनस में इसे शामिल नहीं किया गया है। विवाह की संस्था को कायम रखने के लिए एडल्टरी के कानून को बहाल करने की वकालत की जाती है।

पुलिस को व्यापक अधिकार

भारतीय नागरिक सुरक्षा(द्वितीय)संहिता 2023 की धारा 187 के तहत पुलिस को तफ्तीश के लिए व्यापक अधिकार सौंपे गए हैं। अदालत किसी भी अभियुक्त की पुलिस हिरासत 90 दिन तक प्रदान कर सकती है। जिन अपराधों में अधिकम सजा फांसी, आजीवन कारावास, दस साल या दस साल से अधिक है, उन मामलों में मजिस्ट्रेट अभियुक्त की पुलिस कस्टडी को अधिकतम 90 दिन तक बढ़ा सकता है। अन्य मामलों में अधिकतम पुलिस हिरासत 60 दिन दी जा सकती है। सीआरपीसी के तहत अभी तक पुलिस हिरासत की अवधि अधिकतम 15 दिन है। भारत में पुलिस की कार्यप्रणाली को संदेह की नजर से देखा जाता है। सजा की दर में कमी से स्पष्ट है कि पुलिस की जांच पेशेवर तरीके से कम ही होती है। पुलिस अधिनियम में बदलाव किए बिना और उनकी जवाबदेही तय किए बिना 90 दिन तक पुलिस कस्टडी के प्रावधान पर पुनर्विचार की जरूरत है।

नए कानून कब होंगे लागू

राष्ट्रपति ने 25 दिसंबर 2023 को तीनों कानूनों पर अपनी मुहर लगा दी। लेकिन सरकार इन्हें कब अधिसूचित करेगी, यह स्पष्ट नहीं है। अभी तक के संकेतों से कहा जा सकता है कि वर्ष 2024 में इन नए कानूनों को अमल में लाने की कोशिश की जा सकती है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि यह पूरे देश में

एक साथ लागू होंगे या चरणबद्ध तरीके से धीरे-धीरे अमल में लाए जाएंगे। कुछ ऐसे भी संकेत मिले हैं कि इन कानूनों को केन्द्र शासित प्रदेशों में पहले लागू किया जाएगा।

लागू करने में क्या हैं चुनौतियां

नए कानूनों में फोरेंसिक जांच को महत्व दिया गया है। यह एक सराहनीय प्रयास है। लेकिन पूरे देश में फोरेंसिक लैब सीमित हैं। इनकी संख्या बढ़ाने की जरूरत है। इलैक्ट्रोनिक सबूतों को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने का प्रावधान नए कानूनों में किया गया है। लेकिन देश की अदालतों में इलैक्ट्रोनिक सबूतों को परखने के लिए जरूरी उपकरण नहीं हैं। दिल्ली तथा कुछ बड़े शहरों को छोडक़र देश की अन्य जिला अदालतों का अभी तक कम्प्यूटीकरण नहीं हुआ है। ऐसे में नए कानूनों के अमल में समय लगेगा।

प्रशिक्षण की जरूरत

क्रिमनल जस्टिस सिस्टम के तीन महत्वपूर्ण हिस्से हैं- पुलिस, अभियोजन और अदालतें। पुलिस को नए कानूनों से परिचित कराना होगा। इसके लिए गहन प्रशिक्षण की जरूरत है। संसद में यह कानून बिना किसी बहस के पारित हो गए। संसद के दोनों सदनों में इन कानूनों के पारित होने के समय विपक्ष के अधिसंख्य सदस्यों को सदन से निलंबित कर दिया गया था। देश के कई नामी वकील लोक सभा तथा राज्य सभा के सदस्य हैं। चर्चा में उनकी भागीदारी से जनसाधारण को इन कानूनों को समझने में मदद मिल सकती थी।

अभियोजकों की भी देश में भारी कमी है। सरकारी वकीलों की नियुक्तियां समय पर नहीं हो पाती हैं। नए कानूनों को आगे बढ़ाने में सरकारी वकीलों की भूमिका भी अहम होगी। सरकारी वकील अपराध की जांच में पुलिस की भी मदद करने में सक्षम होते हैं। देश की जिला अदालतें न्यायाधीशों की कमी से जूझ रही हैं। ट्रायल कोर्टों के स्वीकृत पद भी नहीं भरे जाते हैं। नए कानूनों के तहत दर्ज मुकदमों के जल्द निपटारे के लिए न्यायाधीशों की संख्या में बढ़ोतरी की सख्त जरूरत है।

क्या होगा पुराने कानूनों का

आईपीसी के तहत दर्ज केस चलते रहेंगे। इन मुकदमों का निपटारा आईपीसी, सीआरपीसी तथा साक्ष्य अधिनियम के तहत ही चलेगा। वकीलों को भी नए कानूनों से पारंगत होना पड़ेगा। मौजूदा फौजदारी कानून दशकों से देश की न्याय व्यवस्था का हिस्सा रहे हैं। हालांकि समय-समय पर इनमें संशोधन किया जाता रहा है।

REFERENCES

1.Bharatiya Nyaya(Second) Sanhita, 2023

2.Bharatiya Nagarik Suraksha(Second) Sanhita, 2023

3.Bharatiya Sakshya(Second) Bill, 2023

4.Indian Penal Code(IPC), 1860

5.The Code of Criminal Procedure(CRPC), 1973

6.Indian Evidence Act, 1872

7. A word of Difference, Editorial, The Times of India, 15th August, 2023

8.Copy, Cut and Paste Reform by P Chidsambaram, The Sunday Express, 26th November, 2023

9. Impact of changes in Criminal Law by Virag Gupta, Navbharat Times, 15th August, 2023

10.Gap between law and justice by Anup Surendranath and Neetika Vishwanath, The Indian Express, September 25, 2023

11. Rewriting the Code, editorial, The Indian Express, August 14, 2023

12. Erasing Macaulay's mark by Bibek Debroy and Aditya Sinha, The Indian Express, August 14, 2023

13. IPC is history: In 1837, how Macaulay cracked the code by Chakshu Roy, The Indian Express, August 13, 2023

14.Missed opportunity by Faizan Mustafa, The Indian Express, August 18, 2023

15. Opp MPs dissent on criminal law bills: Copy-paste job, colonial spirit retained by Deeptiman Tiwary, The Indian Express, November 12, 2023

16. Panel likely to seek redraft of provisions on organised crime by Apurva Vishwanath, The Indian Express, October 28, 2023

17. Criminal Law: Too much of the old in the new by Naveed Mehmood Ahmad, The Times of India, August 14, 2023

18. The Custody question by Menaka Guruswamy, The Indian Express, August 19, 2023

19. How not to reform the code by Menaka Guruswamy, The Indian Express, September 16, 2023

20. Not enough to change the name of law by Faizan Mustafa, Navbharat Times, September 16, 2023

21. New Laws, same system by Sidharth Luthra, The Indian Express, August 23, 2023

22. Cowboy Legislation by Derek O'Brien, The Indian Express, January 5, 2024

23. Constitutional collapse by Pratap Bhanu Mehta, The Indian Express, December 22, 2023

24. Billing Problem, Editorial, The Times of India, December 14, 2023 25. Debate the Code, Editorial, The Indian Express, December 14, 2023

26. In Custody, Civil Liberties by Anup Surendranath and Zeba Sikora, The Indian Express, December 14, 2023

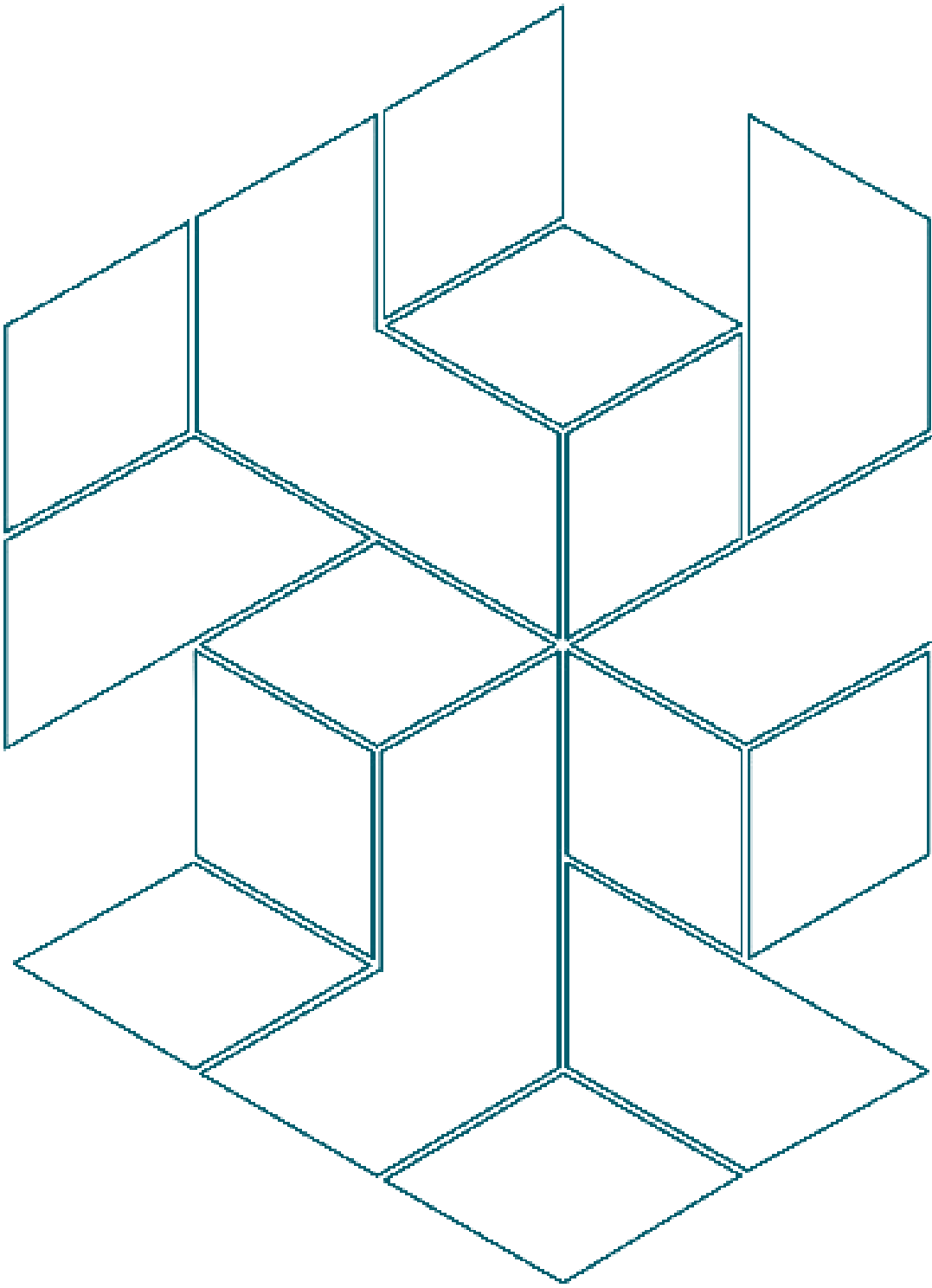

SPRF.IN